

प्रेस नोट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 27.01.2025

गोतस्करी का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा गोतस्करी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चौरी चोरा के नेतृत्व में प्रशिक्षु उ0नि0 आशीष कन्नौजिया मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 675/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित वांछित अभियुक्त सतीश यादव को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.12.2024 को थाना क्षेत्रान्तर्गत स्थित सतहवा ओवर ब्रिज के पास पुलिस चेकिंग के दौरान गोवंशों से लदी 01 अदद पिकअप वाहन को बरामद किया गया था। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 675/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सतीश यादव पुत्र रामरेखा यादव निवासी ओझा भरतरी हाटा बुजुर्ग थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक राहुल शुक्ल थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
2. प्रशिक्षु उ0नि0 आशीष कन्नौजिया थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
3. कां0 सूरज यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर